समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)
आदेश

श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, पिता–स्व0 काली प्र0 यादव, सा0–बराही, पो0–आनन्दपुरा, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा को एक, दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 09/1987 (उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर बंदूक संख्या–2961 B/9 Y-85 (.12 Bore) धारित है। उनके पुत्र श्री सर्वेश कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद यादव, सा0–बराही, पो0–आनन्दपुरा, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव की मृत्यु दिनांक 18.05.2016 को हो चुकी है।

अतः श्री सर्वेश कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद यादव द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व0 लक्ष्मी प्रसाद यादव के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 09/1987 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित दो नाली बन्दूक संख्या–2961 B/9 Y-85 (.12 Bore) को उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री सर्वेश कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद यादव को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 66 /श0, मधेपुरा, दिनांक 30.06.2016

प्रतिलिपि : श्री सर्वेश कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद यादव, सा0–बराही, पो0–आनन्दपुरा, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : ✓जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।
30/6/16